



# वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन

## वित्तीय वर्ष: 2021-22



# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

## विनियामक आयोग

विद्या निलयम्, ब्लॉक - 7 बी, भू-तल, ऑफिस कैंपस,  
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)  
✉ cgpurc18@gmail.com, 🌐 purc.cgstate.gov.in





## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



# वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्पर्कीका प्रतिवेदन

2021-2022

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

विद्या निलयम, सेक्टर-24, ऑफिस कैंपस, ब्लॉक - 7 बी, भू-तल,  
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)





क्रमांक - 426/ए.ए.आर.सी./166/ए/2005/17592

रायपुर, दिनांक : 13/12/2022

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

उच्च शिक्षा विभाग,

मंत्रालय, महानदी भवन,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

--00--


छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि “आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है कि आयोग के वार्षिक लेखा को चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है।”

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–2022 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक 23/11/2022 को विचार कर अनुमोदन किया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(प्रो. (डा.) उमेश कुमार मिश्र)  
अध्यक्ष



# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

## वार्षिक प्रतिवेदन

### वित्तीय वर्ष 2021-2022

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के क्रिया-कलापों का पूर्ण लेखा-जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत है।

#### **1. विनियामक आयोग - पदाधिकारी एवं अधिकारी :-**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जायेगा जो राज्य शासन, एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरणों के बीच अध्यापन, परीक्षा शोध एवं अन्य कार्यक्रमों में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तत्संगत शर्तें सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखेगा। विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा तदानुसार आयोग निरन्तर कार्यरत है। आयोग में वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी हैं :—

(1)	डॉ. शिववरण शुक्ल	—	अध्यक्ष
(2)	प्रो. (डॉ.) उमेश कुमार मिश्र	—	सदस्य (अकादमिक) एवं कार्यकारी अध्यक्ष
(3)	श्रीमती रेणु देशमुख	—	सदस्य (प्रशासनिक)
(4)	डॉ. (श्रीमती) सरिता सिन्हा	—	सदस्य (अंशकालिक)
(5)	डॉ. सुरेन्द्र सिंह खनूजा	—	सदस्य (अंशकालिक)
(6)	डॉ. (श्रीमती) मनीषा शुक्ला	—	सचिव
(7)	श्री रामजी द्विवेदी	—	प्रोग्रामर

#### **2. आयोग कार्यालय में उक्त अधिकारियों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है :-**

सं. क्र.	नाम	पदनाम	कार्यकाल	
			कार्यभार ग्रहण	कार्यभार मुक्त
01	डॉ. शिववरण शुक्ल	अध्यक्ष	दिनांक 06 / 10 / 2020	दिनांक 22 / 02 / 2022
02	प्रो. (डॉ.) उमेश कुमार मिश्र	सदस्य (अकादमिक)	दिनांक 02 / 08 / 2021	निरंतर
		कार्यकारी अध्यक्ष	दिनांक 22 / 02 / 2022	
03	श्रीमती रेणु देशमुख	सदस्य (प्रशासनिक)	दिनांक 03 / 12 / 2015	दिनांक 30 / 11 / 2021
04	डॉ. (श्रीमती) सरिता सिन्हा	सदस्य (अंशकालिक)	दिनांक 26 / 11 / 2020	निरंतर
05	डॉ. सुरेन्द्र सिंह खनूजा	सदस्य (अंशकालिक)	दिनांक 24 / 02 / 2022	निरंतर
06	डॉ. (श्रीमती) मनीषा शुक्ला	सचिव	दिनांक 24 / 03 / 2021	निरंतर
07	श्री रामजी द्विवेदी	प्रोग्रामर	दिनांक 01 / 07 / 2020	निरंतर

### **3. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कर्तव्य :-**

- (1) निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के लिए मानक स्तर बनाए रखने के लिए ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो वह उचित समझें।
- (2) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय को कितना शुल्क और अन्य राशि एकत्रित करने का अधिकार हो ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को वसूल कर सके और साथ में उनके पास कुछ तर्कसंगत राशि बच भी सके, जिसका उपयोग वे संपत्ति के संधारण और आगे के विस्तार के लिये कर सकें।
- (3) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त शिक्षकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं हों।
- (4) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार हुई है तथा विश्वविद्यालय की परिनियमों, अध्यादेशों के सुसंगत है।
- (5) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के साथ शोषण न हो और उनसे शुल्क वसूल करने के लिए गलत तरीके न अपनाए जाए।
- (6) निजी विश्वविद्यालय के विघटन संबंधी सभी मामले में कार्यवाही करें, जिसमें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन करने एवं उपाधि देने का कार्यक्रम शामिल है, इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौंपेंगे, ताकि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो विद्यार्थियों के लिए किये जाने वाले इन सब कार्यों में तथा विश्वविद्यालयों के विघटन पर होने वाले व्यय को विन्यास निधि एवं / सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा।
- (7) निजी विश्वविद्यालय के परामर्श से राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अध्ययन केन्द्रों का नियमन करना।

### **4. विनियामक आयोग की बैठकें :-**

वर्ष 2021–2022 में विनियामक आयोग की 15 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

सं.क्रं	बैठक क्रमांक	बैठक दिनांक
01.	124 / 2021	31 / 05 / 2021
02.	125 / 2021	16 / 06 / 2021
03.	126 / 2021	21 / 06 / 2021
04.	127 / 2021	05 / 07 / 2021
05.	128 / 2021	20 / 07 / 2021
06.	129 / 2021	31 / 08 / 2021

07.	130 / 2021	13 / 09 / 2021
08.	131 / 2021	01 / 10 / 2021
09.	132 / 2021	13 / 10 / 2021
10.	133 / 2021	30 / 11 / 2021
11.	134 / 2022	14 / 01 / 2022
12.	135 / 2022	17 / 02 / 2022
13.	136 / 2022	03 / 03 / 2022
14.	137 / 2022	09 / 03 / 2022
14.	137 / 2022	09 / 03 / 2022
15.	138 / 2022	29 / 03 / 2022

## 5. प्रस्तावित भारती यूनिवर्सिटी, दुर्ग की स्थापना एवं निगमन के संबंध में विचार एवं निर्णय

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 124 / 2021, दिनांक 31 / 05 / 2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि प्रस्तावित भारती यूनिवर्सिटी दुर्ग के संबंध में प्राप्त प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन, सहायक अधीक्षक, भू—अभिलेख, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन, निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं प्रायोजक निकाय के द्वारा दी गई जानकारी के साथ—साथ “छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम—2005” में दिये गये स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों से बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं तदनुसार सर्व—सम्मति से जो निर्णय लिया है वह निम्नानुसार है:—

- (1) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्वामित्व की भूमि 25.09 एकड़ भूमि में है, जिसका सत्यापन सहायक अधीक्षक भू—अभिलेख रायपुर द्वारा किया जा चुका है।
- (2) विन्यास निधि की राशि के रूप में रूपये पांच करोड़ आयोग के पास जमा नहीं की गई है।
- (3) मुख्य परिसर में प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल निर्माण कार्य 1,61,464 वर्गफुट का पूरा हो चुका है। प्रशासनिक भवन का निर्मित क्षेत्रफल 57,009 वर्गफुट है, जिसमें स्वागत कक्ष के साथ कुलाधिपति, कुलपति एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय हेतु पृथक—पृथक कक्ष स्थित है।

अकादमिक भवन का निर्मित क्षेत्रफल 1,04,454 वर्गफुट है, जिसमें लगभग 40 अध्यापन कक्ष, कान्फ्रैंस हॉल, कम्प्यूटर लैब एवं ग्रंथालय स्थित है। साथ ही पूरा भवन पूर्णतः विद्युत व्यवस्था से सुसज्जित है तथा छात्र—छात्राओं के लिए पृथक—पृथक टॉयलेट बने हुए हैं। वर्तमान में कम्प्यूटर लैब के लिए लगभग 100 नग कम्प्यूटर का क्रय किया गया है तथा ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, जर्नल्स आदि का क्रय किया जा चुका है। प्रबन्धन के प्रतिनिधियों ने पूरे परिसर की प्रस्तावित योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें भविष्य में बनाये जाने वाले स्टाफ क्वाटर के साथ अकादमिक भवन, वर्कशॉप, ऑडिटोरियम, विकल्स (वाहन) आदि उपलब्ध

कराने की जानकारी दी गयी है। प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय रायपुर के नई राजधानी परिक्षेत्र से लगभग 75 कि.मी. रायपुर-दुर्ग पहुंचमार्ग से जुड़ा है।

- (4) प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम-2015 के अनुसार निजी विश्वविद्यालय के लिए विन्यास निधि की राशि रूपये पांच करोड़ जमा करने की शर्त की पूर्ति नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में समिति द्वारा आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण राज्य शासन को भेजे जाने हेतु विन्यास निधि की राशि जमा करने की शर्त पूर्ण करने की स्थिति में अनुशंसा की गई है।

6. **छत्तीसगढ़ राज्य में भविष्य में स्थापित किये जाने वाले निजी विश्वविद्यालयों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में) की स्थापना के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 125 / 2021, दिनांक 16 / 06 / 2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में भविष्य में निजी विश्वविद्यालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जाना अत्युपयोगी होगा।

7. **छत्तीसगढ़ के युवा को संस्कारवान-स्वाभिमानी एवं आदर्शवादी बनाने के लिए प्रान्त के विश्वविद्यालयों में जीवन आदर्श एवं नैतिक मूल्यों के अध्ययन को प्रारंभ करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 125 / 2021, दिनांक 16 / 06 / 2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ के युवा को संस्कारवान-स्वाभिमानी एवं आदर्शवादी बनाने के लिए प्रान्त के समस्त निजी विश्वविद्यालयों में जीवन आदर्श एवं नैतिक मूल्यों के विषयों को समस्त पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से समाहित किया जाना उपादेय होगा।

8. **छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन को अनुमोदित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 129 / 2021, दिनांक 31 / 08 / 2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। आयोग कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन को आयोग के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन उपरांत सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा आयोग का वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अभिप्राप्तित किया गया है। लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन को वार्षिक प्रतिवेदन के साथ छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया ताकि उच्च शिक्षा विभाग इसे नियमानुसार विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

## 9. आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, रायपुर को दी गई वनटाईम छूट के संबंध में आयोग कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 129 / 2021, दिनांक 31 / 08 / 2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 16-3 / 2019 / 38-2, दिनांक 31 / 12 / 2020 के माध्यम से आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा बी.एस.सी. (एम.एल.टी.) एवं बी.ऑप्टोमेट्री पाठ्यक्रम के अध्यादेशों का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में पृथक से न होते हुए भी पाठ्यक्रम संचालिक करने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम – 2005 की धारा 7(4)(ड), 29(2) एवं 35 का उल्लंघन करने पर छात्र हित को ध्यान में रखकर वन टाइम छूट एवं कार्योन्तर अनुमति दिए जाने का उल्लेख करते हुए आयोग को अनुषांगिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरण के परीक्षण हेतु आयोग कार्यालय द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। प्रकरण के संबंध में जांच समिति द्वारा निम्नानुसार अभिमत दिया गया है :–

‘‘भविष्य में विद्यार्थियों को कोई समस्या न हो इसे ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा दी गई वन टाईम छूट एवं कार्योन्तर अनुमति संबंधित निर्णय की पुष्टि की जाती है।’’

उक्त के संबंध में प्रकरण को आयोग के पत्र क्रमांक 10110 / शिकायत / 185 / 2019 / 15943, दिनांक 29 / 06 / 2021 के माध्यम से अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को भेजा गया है, जिसका अवलोकन माननीय सदस्यों द्वारा किया गया एवं पुष्टि की गई है।

## 10. एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर को दी गई वनटाईम छूट के संबंध में आयोग कार्यालय द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 129 / 2021, दिनांक 31 / 08 / 2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 3-6 / 2015 / 38-2, दिनांक 12 / 02 / 2021 के माध्यम से एमिटी विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रथम परिनियम एवं प्रथम अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित हुए बिना विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करने संबंधी प्रकरण में आयोग कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 12 / 02 / 2021 के माध्यम से 04 सदस्यीय परीक्षण समिति का गठन किया गया था। परीक्षण समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर समिति ने बैठक दिनांक 19 / 03 / 2021 के तारतम्य में आयोग के पत्र दिनांक 08 / 04 / 2021 के माध्यम से एमिटी विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी गयी थी।

एमिटी विश्वविद्यालय ने अपने पत्र क्रमांक Ref No. AUC/RO/CGPURC/20-21/455, दिनांक 12 / 04 / 2021 द्वारा वांछित जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है। परीक्षण समिति ने एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत जानकारी और शासन के पत्र के परिप्रेक्ष्य में छात्र हित को ध्यान में रखकर वन

टाईम छूट एवं कार्योत्तर अनुमति दी जाती है। प्रकरण का परीक्षण दिनांक 16 / 08 / 2021 को आयोग द्वारा गठित समिति ने किया तथा निम्नलिखित संस्तुति की है :—

“छात्र” हित को ध्यान में रखते हुए एक बार दी गई छूट के संबंध में समिति के द्वारा कमियों की पूर्ति के अभिलेख विश्वविद्यालय से चाहे गये थे। विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ति की जानकारी के अभिलेख उपलब्ध कराये गये हैं। तदानुसार स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है तथा अग्रिम कार्यवाही शासन स्तर से किया जाना प्रस्तावित है। ”

उक्त के संबंध में प्रकरण को आयोग के पत्र क्रमांक 756 / एस.एण्ड.ओ. / एमिटी / 2014 / 16107, दिनांक 17 / 02 / 2021 के माध्यम से अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को भेजा गया है, जिसका अवलोकन माननीय सदस्यों द्वारा किया गया तथा यह पाया गया कि उक्त पत्र में अग्रिम कार्यवाही शासन स्तर से किये जाने हेतु राज्य शासन को लिखा गया है, जबकि अग्रिम कार्यवाही आयोग स्तर से ही की जानी है। अतः राज्य शासन को संशोधित पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है।

## 11. श्री सुमीत लाहौटी, एकाउन्टेंट के आवेदन में प्रोफेशनल चार्ज में वृद्धि करने पर विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 129 / 2021, दिनांक 31 / 08 / 2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि श्री सुमीत लाहौटी, एकाउन्टेंट के प्रोफेशनल चार्ज में वृद्धि करने संबंधी आवेदन पत्र पर विचार-विमर्श किया गया तथा यह पाया गया कि श्री सुमीत लाहौटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखा पुस्तिकाओं के कम्प्यूटराइजेशन का कार्य किया गया, इस हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05 / 07 / 2021 में निम्नानुसार प्रोफेशनल चार्जेस का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है :—

क्र.स.	कार्यों का विवरण	पूर्व में भुगतान की गई राशि	प्रस्तावित राशि
01	वार्षिक लेखा कार्य एवं अंकेक्षण का कार्य	25,000 /—	50,000 /—
02	एक प्रतिशत शुल्क राशि के दण्डात्मक शुल्क की राशि की गणना	35,000 /—	50,000 /—
अथवा			
03	प्रत्येक माह में दो दिन वित्तीय लेखांकन से संबंधित समस्त कार्य	—	15000 /— प्रतिमाह

उक्त प्रस्ताव पर सभी माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ गई है, जिससे वित्तीय लेखांकन का कार्य बढ़ गया है। अतः उक्त प्रस्ताव में रूपये 25000 /— के स्थान पर 35000 /— का भुगतान किया जाए एवं रूपये 35000 /— के स्थान पर 45000 /— का भुगतान किया जाए।

## 12. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समस्त बैंक खातों के संचालन के संबंध में विचार एवं निर्णय।

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 130 / 2021, दिनांक 13 / 09 / 2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के

समस्त बैंक खातों के संचालन के संबंध में विचार—विमर्श किया गया तथा यह निर्णय लिया गया है कि आयोग के समस्त खातों का संचालन माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य (प्रशासनिक) के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा, इसकी सूचना संबंधित बैंकों को दी जाए। इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेश निरस्त माने जाएंगे।

उक्त के साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु समस्त पत्राचार सदस्य (प्रशासनिक) के हस्ताक्षर से किये जाएंगे।

### **13. प्रायोजक निकाय लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी, रायपुर के द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन उपरांत आशय पत्र जारी किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 132 / 2021, दिनांक 13 / 10 / 2021 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि प्रायोजक निकाय लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी, रायपुर छत्तीसगढ़ (प्रस्तावित लार्ड बुद्धा यूनिवर्सिटी, रायपुर) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 11 / 10 / 2021 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है:-

“तथ्यों के साथ—साथ प्रकरण के मूल्यांकन उपरांत यह पाया गया कि परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम—2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को लॉर्ड बुद्धा यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार—विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय लॉर्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी, रायपुर को प्रस्तावित लॉर्ड बुद्धा यूनिवर्सिटी, रायपुर की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अनुशंसा पत्र हेतु लिखा जाए।

### **14. प्रायोजक निकाय मानव रचना एजुकेशन सोसायटी रायपुर द्वारा प्रस्तुत श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी के परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 07/01/2022 पर विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 134 / 2022, दिनांक 14 / 01 / 2022 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि प्रायोजक निकाय मानव रचना एजुकेशन सोसायटी रायपुर द्वारा (श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 07 / 01 / 2022 को मूल्यांकन किया तथा निम्नानुसार अनुशंसा की गई :-

“तथ्यों के साथ—साथ प्रकरण के मूल्यांकन उपरांत यह पाया गया कि परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गयी जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय मानव रचना एजुकेशन

सोसायटी को प्रस्तावित श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की गई है।"

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय मानव रचना एजुकेशन सोसायटी रायपुर को प्रस्तावित श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने हेतु छत्तीसगढ़, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अनुशंसा पत्र लिखा जाए।

### **15. छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विवान शिक्षा समिति रायगढ़ द्वारा प्रस्तावित कोलंबिया विश्वविद्यालय रायगढ़ के परियोजन प्रतिवेदन के मूल्यांकन उपरांत मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 07/01/2022 पर विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 134 / 2022, दिनांक 14 / 01 / 2022 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि प्रायोजक निकाय विवान शिक्षा समिति, बुजी भवन रोड, जनकर्म प्रेस के पास रायगढ़ (छ.ग.) 496001 द्वारा कोलंबिया विश्वविद्यालय रायगढ़ के परियोजना प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 07 / 01 / 2022 को मूल्यांकन किया तथा निम्नानुसार अनुशंसा की गई :—

"तथ्यों के साथ—साथ प्रकरण के मूल्यांकन उपरांत यह पाया गया कि परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गयी जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय विवान शिक्षा समिति, बुजी भवन रोड, जनकर्म प्रेस के पास रायगढ़ (छ.ग.) 496001 को कोलंबिया विश्वविद्यालय, ग्राम—जुर्दा, जामगांव रोड, तहसील एवं जिला—रायगढ़ की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की गई है।"

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर माननीय सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय विवान शिक्षा समिति, रायगढ़ को प्रस्तावित कोलंबिया विश्वविद्यालय ग्राम—जुर्दा, जामगांव रोड, तहसील व जिला— रायगढ़ की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने हेतु छत्तीसगढ़, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अनुशंसा पत्र लिखा जाए।

### **16. आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के द्वारा फर्जी डिग्री की शिकायत के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 135 / 2022, दिनांक 17 / 02 / 2022 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय के द्वारा उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन आयोग को अभिमत हेतु प्राप्त हुआ था। उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन और उस पर आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय से प्राप्त उत्तर का आयोग की बैठक

दिनांक 17 / 02 / 2022 में गंभीरता से अध्ययन एवं विचार किया गया, तदोपरांत यह निष्कर्ष लिया गया कि दोनों पक्षों के उत्तर का अध्ययन करके कहीं भी पुष्टि नहीं होती कि ये मार्कशीट आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय ने जारी की है। इस पर आयोग का अलग से अकादमिक दृष्टि से अभिमत नहीं है। अतः शासन को उत्तर आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय से प्राप्त उत्तर एवं समस्त सहपत्रों सहित प्रेषित किया जाए।

### **17. आई.टी.एम. विश्वविद्यालय से प्रस्तावित संकायों की अनुमति के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 135 / 2022, दिनांक 17 / 02 / 2022 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि आई.टी.एम. विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण मूल्यांकन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तावित संकायों की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाए।

### **18. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समस्त बैंक खातों के संचालन के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 136 / 2022, दिनांक 03 / 03 / 2022 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि माननीय डॉ. शिववरण शुक्ल, अध्यक्ष पद का कार्यकाल दिनांक 22 / 02 / 2022 को पूर्ण हो गया है। इसकी जानकारी बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को दी गई। डॉ. शिववरण शुक्ल ने अध्यक्ष पद का कार्यभार माननीय डॉ. उमेश कुमार मिश्र, सदस्य (अकादमिक) को सौंपा है तथा माननीय डॉ. उमेश कुमार मिश्र द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार दिनांक 23 / 02 / 2022 को ग्रहण किया गया है।

बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि जब तक आयोग में नये अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, तब तक आयोग के समस्य बैंकों के खातों का संचालन माननीय डॉ. उमेश कुमार मिश्र कार्यकारी अध्यक्ष एवं डॉ. श्रीमती मनीषा शुक्ला, सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। इसकी सूचना संबंधित बैंकों को दी जायें।

### **19. प्रस्तावित अंजनेय यूनिवर्सिटी, रायपुर की स्थापना एवं निगमन के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

प्रकरण को आयोग की बैठक क्रमांक 137 / 2022, दिनांक 09 / 03 / 2022 में विचारार्थ एवं निर्णय हेतु रखा गया है। प्रकरण के संबंध में लेख है कि प्रस्तावित अंजनेया यूनिवर्सिटी, रायपुर के संबंध में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन, निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं प्रायोजक निकाय के द्वारा दी गई जानकारी के साथ-साथ “छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005” में दिये गये स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों से बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरांत इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आये हैं तदनुसार सर्व-सम्मति से जो निर्णय लिया गया है वह निम्नानुसार है :—

- (1) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्वामित्व की भूमि 25.3 एकड़, ग्राम—नरहदा, रायपुर (छ.ग.) में स्थित है।
- (2) विन्यास निधि की राशि के रूप में रूपये पांच करोड़ आयोग के पास जमा है।
- (3) मुख्य परिसर में प्रशासनिक भवन, अकादमिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जिसमें कुल निर्माण कार्य 3,00,000 वर्गफुट से ज्यादा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रशासनिक भवन का निर्मित क्षेत्रफल 100250 लगभग वर्गफुट है, जिसमें स्वागत कक्ष कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय हेतु पृथक—पृथक कक्ष स्थित है। अकादमिक भवन का निर्मित क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्गफुट है। जिसमें लगभग 48 अध्यापन कक्ष हैं, कांफ्रेन्स हॉल, कम्प्यूटर लैब एवं ग्रंथालय स्थित है। साथ ही पूरा भवन पूर्णतः विद्युत व्यवस्था एवं डीजल जनरेटर से सुसज्जित है। वर्तमान में कम्प्यूटर लैब के लिए 240 नग कम्प्यूटर का क्रय किया गया है तथा ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, जर्नल्स आदि का क्रय किया जा चुका है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय नयी राजधानी से 18 कि.मी. रायपुर पहुंच मार्ग से जुड़ा है।
- (4) आवश्यक परिवर्चन की शपथ पत्र में दी जा चुकी है।

इस प्रकार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम – 2005 में दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः माननीय सदस्यों द्वारा सर्व–सम्मति से प्रस्तावित अंजनेया यूनिवर्सिटी के स्थापना एवं निगमन की अनुशंसा करते हुए यह निर्णय लिया कि प्रकरण को राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को अग्रेषित किया जाये।

## **20. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विचार एवं निर्णय।**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक क्रमांक 129 / 2021 दिनांक 31 / 08 / 2021 के विषय क्रमांक 02 में आयोग के पदाधिकारी/अधिकारियों के अवकाश की स्थिति में आयोग के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों को प्रभार दिये जाने के साथ ही जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के संबंध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया गया था।

आयोग के कार्योंको सुचारू रूप से संपादिक किये जाने हेतु आयोग की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय पर पुनः विचार करते हुए माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि आयोग कार्यालय में सूचना के अधिकारी अधिनियम – 2005 के अंतर्गत आयोग के प्रोग्राम, जनसूचना अधिकारी होंगे तथा सदस्य (प्रशासनिक) प्रथम अपीलीय अधिकारी होंगे, सदस्य (प्रशासनिक) पद की रिक्तता की स्थिति में सदस्य (अकादमिक) प्रथम अपीलीय अधिकारी का कार्य देखेंगे। इसके साथ ही यह भी विचार किया गया कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों में विधि–सम्मत जानकारी दी जानी रहती है। अतः इस कार्य हेतु पृथक से विधि–सलाहकार की सेवाएं भी लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

## 21. अध्यादेशों का अनुमोदन :-

- (1) कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 114 से 134 को राजपत्र में प्रकाशन कराने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

कलिंगा विश्वविद्यालय नवा रायपुर द्वारा प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 114 से 134 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार—विमर्श किया गया तथा विचार—विमर्श के उपरांत सभी माननीय सदस्यों ने जांच समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के इन अध्यादेशों को अनुमोदित किया और यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित किया जाए।

- (2) भारती यूनिवर्सिटी, दुर्ग के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 99 को अनुमोदित किये जाने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

भारती यूनिवर्सिटी, दुर्ग के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 99 के मूल्यांकन हेतु आयोग की अधिसूचना दिनांक 08 / 10 / 2021 के माध्यम से गठित मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 11 / 10 / 2021 को आयोग कार्यालय में आयोजित हुई है। उक्त बैठक में मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :—

“भारती यूनिवर्सिटी, दुर्ग के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 99 का परीक्षण मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया तथा परीक्षणोपरांत उक्त प्रथम परिनियम एवं प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित करने की समिति अनुशंसा करती है।”

भारती यूनिवर्सिटी, दुर्ग के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 29 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 99 पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार—विमर्श किया गया तथा विचार—विमर्श के उपरांत सभी माननीय सदस्यों ने मूल्यांकन समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अध्यादेशों को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित किया जाए।

- (3) श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के संशोधित परिनियम क्रमांक 12 एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 55 से 135 में चिन्हित अनिवार्य प्रथम 30 अध्यादेश का छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन कराने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के प्रकरण को आयोग की बैठक दिनांक 14 / 01 / 2022 विषय क्रमांक 03 में श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय से प्राप्त पत्र Reg. No. SRV/RPR/Reg./2021-22/890 दिनांक 11 / 12 / 2021 के द्वारा प्रेषित अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 55 से 135 में चिन्हित प्रथम 30 अध्यादेश के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव के साथ ही आयोग के द्वारा उक्त संबंध में पूर्व में गठित मूल्यांकन समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार किया गया। आयोग की बैठक में विचार विमर्श पश्चात सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के संशोधित परिनियम क्रमांक 12 एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 55 से 135 में चिन्हित अनिवार्य प्रथम 30 विषयों की अनुशंसा के संबंध में निर्णय लिया गया कि पूर्व में आयोग द्वारा गठित

समिति द्वारा जिन अध्यादेशों / विषयों / संकायों / पाठ्यक्रमों की अनुमति उपरोक्तानुसार नहीं दी गई है उन्हें छोड़कर पूर्व में प्रस्तावित 81 अध्यादेशों में से अन्य 30 की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा संबंधित विभाग एवं Regulatory/Statutory body से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् सशर्त दिये जाने की अनुशंसा की गई है।

- 22. राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2021-22 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज़ राशि को आयोग में जमा किया गया तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में राशि को जमा किया गया है। राज्य की संचित निधि में जमा किये गये शुल्क राशि का विवरण :-**

संक्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	एक प्रतिशत शुल्क राशि (रुपये में)	शास्त्रिक ब्याज़ राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)
01	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय	2372871.00	388403.00	2761274.00
02	मैट्स विश्वविद्यालय	2381403.00	15131.00	2396534.00
03	कलिंगा विश्वविद्यालय	5388824.00	0.00	5388824.00
04	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	205088.00	0.00	205088.00
05	एमिटी विश्वविद्यालय	2186894.00	18226.00	2205120.00
06	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय	1712705.00	0.00	1712705.00
08	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय	456847.00	690.00	457537.00
07	ए.ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	551727.00	1123.00	552850.00
09	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय	1713366.00	0.00	1713366.00
10	के.के. मोदी विश्वविद्यालय	62895.00	0.00	62895.00
11	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	41920.70	87.79	42008.49
12	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	132524.01	448.22	132972.23
13	भारती विश्वविद्यालय	19340.00	0.00	19340.00
<b>कुल राशि</b>				<b>17650513.72</b>

- 23. पूर्ववर्ती/प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही :-**

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा शिकायतों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विचाराधीन अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

- 24. निजी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में :-**

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्थापित 15 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण समय-समय पर आयोग कार्यालय द्वारा किया गया। निरीक्षण में पायी गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों को आयोग कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है।

## 25. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों का विवरण :-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 से विचाराधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य में 15 निजी विश्वविद्यालय स्थापित व संचालित हैं, इनका विवरण निम्नानुसार है :—

सं. क्र.	निजी विश्वविद्यालयों के नाम	निजी विश्वविद्यालयों का पता	स्थापना वर्ष/दिनांक
1	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय	करगी रोड कोटा जिला—बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
2	मैट्स विश्वविद्यालय	ग्राम—गुल्लु, तह.—आरंग, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
3	कलिंगा विश्वविद्यालय	ग्राम—कोटनी, पलौद, तह.—आरंग, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
4	आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय	ग्राम—चोरहा, तह.—धमधा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 25 मार्च, 2011
5	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम—उपरवारा, तह.—अभनपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 फरवरी, 2012
6	एमिटी विश्वविद्यालय	ग्राम—मांठ, तह.—तिल्दा, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
7	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय	ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, ग्राम—पुंजीपथरा, तह.—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
8	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय	ग्राम—छुरा, तह.—छुरा, जिला—गरियाबांद (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 09 सितम्बर, 2016
9	ए.ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	ग्राम—मांठ, तह.—तिल्दा, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
10	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय	षदाणी दरबार के पास, धनेली, पोस्ट—माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
11	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी	ग्राम—मंगला, तहसील एवं जिला— बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 17 अप्रैल, 2018
12	के.के. मोदी यूनिवर्सिटी	ग्राम—महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला—दुर्ग, (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 08 अगस्त, 2018
13	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	ग्राम—सांकरा, कुम्हारी जिला—दुर्ग, (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 08 अगस्त, 2018
14	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	ग्राम—जुनवानी, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 09 जून, 2020
15	भारती विश्वविद्यालय	ग्राम—चंदखुरी, बालोद रोड, जिला — दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2021

## 26. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में अन्य जानकारी :-

### (1) डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय
	पता	करगी रोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.cvru.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	info@cvru.ac.in
	दूरभाष	07753-253801, 07753-253728
02	प्रायोजक निकाय का नाम	आईसेक्ट
	पता	स्कोप कैम्पस, एन.एच.-12, मिसरौद, होशंगाबाद रोड, भोपाल-47 (म.प्र.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	B+
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 03 नवम्बर, 2006
05	कुल भूमि	62 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	753474 वर्गफुट
07	सत्र 2020-21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	3179

### (2) मैट्स विश्वविद्यालय, ग्राम-गुल्लु, आरंग-खरोरा हाईवे, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	मैट्स विश्वविद्यालय
	पता	ग्राम-गुल्लु, आरंग-खरोरा हाईवे, रायपुर(छ.ग.)
	वेबसाईट	www.matsuniversity.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	info@matsuniversity.ac.in
	दूरभाष	0771-4078994 / 95 / 96 / 98
02	प्रायोजक निकाय का नाम	श्री भगवान महावीर जैन एजुकेशनल एंड कल्याल सोसायटी
	पता	मैट्स विश्वविद्यालय, पगारिया कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	B++
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 03 नवम्बर, 2006
05	कुल भूमि	40 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	553292.00 वर्गफुट
07	सत्र 2020-21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	1960

## (3) कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम-कोटनी पलौद, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	कलिंगा विश्वविद्यालय
01	पता	कोटनी, मंत्रालय के निकट, नवा रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.kalingauniversity.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	registrar@kalingauniversity.ac.in
	दूरभाष	9303097043
02	प्रायोजक निकाय का नाम	भगवान श्री बालासाई एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसायटी
	पता	कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, मंत्रालय के निकट, नवा रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	B+
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 25 मार्च, 2011
05	कुल भूमि	27.82 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	6.5 लाख वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	2455

## (4) आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, कुम्हारी, तह.-चोरहा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	द आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय
01	पता	एन.एच.-53, रायपुर-भिलाई रोड, किमी. स्टोन-20, पो-कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.iuraipur.edu.in
	ई-मेल आई.डी.	registrar@iuraipur.edu.in
	दूरभाष	09399900577
02	प्रायोजक निकाय का नाम	द आई.सी.एफ.ए.आई. सोसाइटी
	पता	रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	निरंक
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 25 मार्च, 2011
05	कुल भूमि	30.43 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	90000 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	229

## (5) आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, ग्राम-उपरवारा, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय
	पता	नवा रायपुर अटल नगर, ग्राम-उपरवारा, रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.itmuniversity.org
	ई-मेल आई.डी.	info@ itmuniversity.org
02	दूरभाष	0771-6643126
	प्रायोजक निकाय का नाम	इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट सोसायटी
03	पता	सी.-252, ए, सेक्टर-6ए, वल्लभ नगर, रायपुर (छ.ग.)
	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	प्रक्रियाधीन
	04 विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष-03 फरवरी, 2012
	05 कुल भूमि	25 एकड़
	06 विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	11148.36 वर्गफुट
07	सत्र 2020-21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	559

## (6) ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, पूंजीपथरा, रायगढ़ (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय
	पता	ओ.पी. जिंदल नॉलेज पार्क, पूंजीपथरा, रायगढ़ (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.opju.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	info@opju.ac.in
02	दूरभाष	0776-7254000
	प्रायोजक निकाय का नाम	जिंदल एजुकेशन एंड वेलफेर सोसाइटी
03	पता	जिंदल स्टील लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 16, खरसिया रोड, रायगढ़ (छ.ग.)
04	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	विश्वविद्यालय द्वारा नैक द्वारा दर्जा प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया जारी है।
05	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष-21अगस्त, 2014
06	कुल भूमि	59.32 एकड़
07	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	312250.28 वर्गफुट
	सत्र 2020-21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	659

## (7) एमिटी विश्वविद्यालय, ग्राम-मांठ, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	एमिटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़
	पता	ग्राम-मांठ, तिल्दा (खरोरा), रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.amity.edu./raipur
	ई-मेल आई.डी.	registrarauc@rpr.amity.edu.in
	दूरभाष	0771-7114226
02	प्रायोजक निकाय का नाम	रितनंद बलदेव इंटरनेशनल एजुकेशन फाउण्डेशन
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	कार्य प्रक्रियाधीन है।
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 21 अगस्त, 2014
05	कुल भूमि	53.67 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	325000 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	841

## (8) आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, नवापारा (कोसमी), तह.-छुरा, गरियाबंद (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय
	पता	नवापारा (कोसमी), तह.-छुरा, गरियाबंद (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.isbmuniversity.edu.in
	ई-मेल आई.डी.	info@isbmuniversity.edu.in
	दूरभाष	9109333333
02	प्रायोजक निकाय का नाम	अल्फा फाउन्डेशन
	पता	एम.-1, पंचल उद्योग नगर, सिंडीकेट बैंक के पास, थाणे-401105 (महाराष्ट्र)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	प्रक्रियाधीन है
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 09 सितंबर, 2016
05	कुल भूमि	26.5 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	109587 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	2374

## (9) ए.ए.एफ.टी. यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स, ग्राम-मांठ, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	ए.ए.एफ.टी. विश्वविद्यालय
	पता	ग्राम-मांठ, खरोरा, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.aaft.edu.in
	ई-मेल आई.डी.	registrar@aaft.edu.in
	दूरभाष	8586972071
02	प्रायोजक निकाय का नाम	सोसाइटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स
	पता	ग्राम-मांठ, खरोरा, तिल्दा, रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 17 अप्रैल, 2018
05	कुल भूमि	27.14 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	60088 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	265

## (10) श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, ग्राम-धनेली, पोस्ट-माना, न्यू धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय
	पता	एन.एच.-43, शदाणी दरबार के पास, पोस्ट-माना, नया धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.)
	वेबसाईट	www.sruraipur.ac.in
	ई-मेल आई.डी.	info.srur@gmail.com
	दूरभाष	0771-2473300
02	प्रायोजक निकाय का नाम	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट
	पता	रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	लागू नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष –17 अप्रैल, 2018
05	कुल भूमि	65 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	767012.19 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	2279

## (11) महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
	पता	मंगला, बिलासपुर (छ.ग.)
	वेबसाइट	www.mumt.com
	ई-मेल आई.डी.	mumt.registrar1@gmail.com
	दूरभाष	07752-414301
02	प्रायोजक निकाय का नाम	महर्षि शिक्षा संस्थान
	पता	ई-5, 5वी मंजिल, हंसालय बिल्डिंग, 15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-1
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	प्रक्रियाधीन है
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 17 अप्रैल, 2018
05	कुल भूमि	34.38 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	1,16,126 वर्गफुट
07	सत्र 2020-21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	275

## (12) के.के. मोदी विश्वविद्यालय, महमरा जलबंधा, रसमड़ा रोड, दुर्ग (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	के.के. मोदी विश्वविद्यालय
	पता	महमरा जालबंधा, रसमड़ा रोड, दुर्ग (छ.ग.)
	वेबसाइट	www.kkmu.edu.in
	ई-मेल आई.डी.	info@kkmu.edu.in
	दूरभाष	6232016393 / 07884056506
02	प्रायोजक निकाय का नाम	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसाइटी
	पता	9-फरिष्ठा कॉम्प्लैक्स, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	लागू नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 08 अगस्त, 2018
05	कुल भूमि	25.00 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	39516.27 वर्गफुट
07	सत्र 2020-21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	47

## (13) देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ग्राम-सांकरा, कुम्हारी, पोस्ट-कपसदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	देव संस्कृति विश्वविद्यालय
01	पता	ग्राम-सांकरा, कुम्हारी, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
	ई-मेल आई.डी.	dsvvcgsankara18@gmail.com
	दूरभाष	09165893473
02	प्रायोजक निकाय का नाम	श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट
	पता	शांतिकुंज हरिद्वार उत्तराखण्ड)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	लागू नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष – 4 जुलाई, 2018
05	कुल भूमि	26.24 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	100362 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	93

## (14) श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ग्राम-जुनवानी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

	निजी विश्वविद्यालय का नाम	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी
01	पता	भिलाई, डी.मार्ट के पास, एन.एच. 06, जुनवानी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490020
	ई-मेल आई.डी.	registrar@shrishankracharyauniversity@gmail.com
02	प्रायोजक निकाय का नाम	श्री गंगाजली एजुकेशन सोसायटी
	पता	सेक्टर-06, भिलाई नगर, तहसील व जिला-दुर्ग(छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	लागू नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष-09 जून, 2020
05	कुल भूमि	27.989 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	160612.814 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	368

## (15) भारती विश्वविद्यालय, ग्राम-चंदखुरी, बालोद रोड, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

01	निजी विश्वविद्यालय का नाम	भारती विश्वविद्यालय
	पता	ग्राम-चंदखुरी, बालोद रोड, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
	ई-मेल आई.डी.	holisticfoundatondurg@gmail.com
	दूरभाष	08770852057
02	प्रायोजक निकाय का नाम	हॉलिस्टिक फाउण्डेशन
	पता	एलआईजी 281, आदित्य नगर, कातुलबोड़, दुर्ग(छ.ग.)
03	नैक द्वारा दर्जा प्राप्त	नहीं
04	विश्वविद्यालय की स्थापना का वर्ष	वर्ष –27 अगस्त, 2021
05	कुल भूमि	55 एकड़
06	विश्वविद्यालय में कुल निर्माण वर्गफुट में	700000 वर्गफुट
07	सत्र 2020–21 में कुल प्रवेशित छात्र/छात्राएं	423

## 27. न्यायालयीन प्रकरण :-

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों/स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की गई है, जिनमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए निम्नानुसार समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की गई। वर्ष 2021–22 में न्यायालयीन प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है :—

## न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

रिट पिटिशन/कम्प्लेन्ट नं.	माननीय उच्च न्यायालय/ उपभोक्ता फोरम का नाम	वादी/प्रतिवादी	स्मार्क
रिट पिटिशन(सी) नं. 13042 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली	नितिन कुमार दुबे विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन(सी) नं. 2971 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	राजकिशोर वर्मा विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन(सी) नं. 2960 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	करुण दास मानिकपुरी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन(सी) नं. 2976 / 2016	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	श्रवण कुमार हलवाई विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन(सी) नं. 3153 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन(सी) नं. 3141 / 2018	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।

रिट पिटिशन(सी) नं. 104 / 2020	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	डॉ. आरती सिंह विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन(सी) नं. 869 / 2022	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	अभय गौतम एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।
रिट पिटिशन(सी) नं. 1601 / 2022	माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर छ.ग.	देवेश कुमार डहरिया एवं अन्य विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य	प्रकरण लंबित है।

## 28. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 17वें स्थापना दिवस समारोह 01 फरवरी, 2022 के संबंध में।

यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर ने दिनांक 01/02/2022 को अपने स्थापना के गरिमापूर्ण 17 वर्ष पूर्ण किये हैं।

छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है, जिसने राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तीय विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन के लिए अधिनियम-2005 का निर्माण कर छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण में प्रकाशित कराया है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के स्थापना दिवस समारोह (कोविड-19 के नियमों के परिपालन के साथ) दिनांक 01 फरवरी, 2022 को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के समस्त निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति एवं कुलसचिव गण के साथ ही अन्य शिक्षाविद् भी सम्मिलित हुए।

## 29. लेखाओं पर प्रतिवेदन के संबंध में :-

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा दीपक एण्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंट्स, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

(रामजी द्विवेदी)  
प्रोग्रामर

(डॉ. (श्रीमती) मनीषा शुक्ला)  
सचिव

(डॉ. सुरेन्द्र सिंह खनूजा)  
सदस्य (अंशकालिक)

(डॉ. (श्रीमती) सुरिता सिन्हा)  
सदस्य (अंशकालिक)

(ब्रजेश चंद्र मिश्र)  
सदस्य (प्रशासनिक)

(प्रो. (डॉ.) कर्नल उमेश कुमार मिश्र)  
अध्यक्ष

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA**  
**VINAYAMAK AYOG**

**AUDITED FINANCIAL STATEMENT**  
**FOR FINANCIAL YEAR**  
**2021-22**

BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANT



Batra Deepak & Associates  
Chartered Accountants

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex  
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001  
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183  
E-mail: deepakbda@gmail.com

#### INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members,  
Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),  
Raipur (Chhattisgarh)

We have audited the attached Balance Sheet of **CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG)** as at 31st March 2022, the Income & Expenditure Account and the Receipt and Payment Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (e) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and receipt and Payment Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- (f) Our audit observations are as under:
  - i). As per clause 9(b) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules 2005, AYOG has to deposit the fees received from the Universities to the State Government within 15 days but we noticed several instances where amount has been deposited with delay. The list of the same is attached herewith in Annexure 'A' of report.



- vi). An amount of Rs. 10,000/- was given on 18.11.2016 to PWD, Raipur for booking of Mini Conference Hall for conducting meeting. Later on the meeting was cancelled and refund was demanded. However, this amount has not been received back.

During the year an amount of Rs. 5,000 was paid on 27-01-2022 for celebration of Ayog's establishment day in Indian Coffee House however as the function did not happen refund was claimed. The refund has not yet been received.

- vii). During the year medical reimbursement of Rs. 2,30,900 has been given to member and personnel of Ayog. However, while calculating tax deduction at source (Income Tax) liability by taking the amount as perquisite in their respective head has not been done. No evidence in support of registration of hospital under section 17(2) of Income tax Act has been provided.
- viii). During the course of audit, it is found that entity has not maintained any Fixed Asset Register in relation to newly shifted office at Nava Raipur Atal Nagar.
- ix). It has been observed that Ayog has bank accounts with both Central Bank of India & Union Bank of India. However Auto Sweep facilities has been taken only with Union Bank of India.

It is suggested that Ayog should obtain auto sweep facility with Central Bank of India also, so that higher interest income can be earned.

- (g) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read together with the notes thereon, but subject to para (f) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:

- In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2022, and
- In the case of Income and Expenditure Account, of the Deficit for the year ended on that date.
- In the case of Receipt and Payment, of the cash flows for the year ended on that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

Chartered Accountants  
Firm Regn. No. 005408C



SUMIT LUNIA

Partner

M. NO. 419856

UDIN: 22419856ASPLN65569

PLACE: RAIPUR  
DATE: 29/08/2022

- ii). As per clause 9(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and operation) Rules 2005 read with section 12(a) of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and operation) Act 2005, affiliated universities have to deposit an amount of 1% of fees received from their students within 15 days of following month with AYOG however we observed that this stipulation is not regularly followed by affiliated universities. Details of the same is as per Annexure 'B'.
- iii). As per Section 12 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, one per cent of the fees collected from students under clause (a), shall be deposited through bank draft/banker's cheque with the Regulatory Commission within 15 days of the month succeeding to the month in which such fees are received. If Private University fails to deposit fees within stipulated period, then it shall be liable to pay such fee with penal interest at the rate of 1.5% for every 30 days. It is observed during the audit that none of the university is paying penal interest on the delay with reference to monthly periodicity.

It is also observed that whatever amount is remitted by the affiliated University, is being deposited in the designated account without any kind of cross verification. It was suggested to obtain necessary certificate from Chartered Accountant in respect of the authenticity & accuracy of the amount; that would further enhance the reliability. However, no action on our suggestion has been taken.

- iv). Reference is invited to Schedule "B" i.e., details of Fixed Assets and to Note given in Schedule "G" (B)(iii). As stated in the said note, the amount paid by Ayog to Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran has been capitalized, during the year as the possession of the building has been taken by Ayog. In this regard, we have our following observations:

- A. Lease Deed/Sale Deed in respect of the Building/Land (if any) has not been provided to us.
- B. Any bill/memo from Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran specifying the item supplied by them for Furniture & Fixture, Plant & Machinery, Interior, Electrical etc. have not been provided to us.
- C. The entity has charged depreciation based on the break-up given in the above note.

In view of the above, we are unable to comment upon the accuracy of the capitalization carried out during the year as aforesaid and its consequential impact on depreciation.

- v). As per the directions issued by the Directorate Institutional Finance (DIF) every Government organization before investing surplus funds in to fixed deposit receipt should invite quotation from all banks on the panel of DIF in order to get better interest rates. However, it was noticed that Ayog has invited quotations from 4 banks only for making investment in FDRs.



**Annexure - 'A'**

A. In following instances amount was deposited with delay:

S No	Particulars	Amount	Date of Receipt	Due Date of Deposit	Date of Deposit	Delay (in Days)
1	AAFT University	89,272	29.05.2021	13.06.2021	18.06.2021	5
2	O.P. Jindal University	52,586	19.08.2021	03.09.2021	09.09.2021	6
3	AAFT University	722	17.08.2021	01.09.2021	09.09.2021	8
4	ISBM University	26,693	19.08.2021	03.09.2021	09.09.2021	6
5	AAFT University	4,453	17.08.2021	01.09.2021	09.09.2021	8
6	AAFT University	6,946	17.08.2021	01.09.2021	09.09.2021	8
7	AAFT University	24,079	17.08.2021	01.09.2021	09.09.2021	8
8	ICFAI University	18,038	20.08.2021	04.09.2021	18.09.2021	14
9	Bharti University	13,650	17.02.2022	04.03.2022	14.03.2022	10
10	MATS University	2,06,888	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
11	ShriShankaracharya	22,459	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
12	DevSanskriti University	3,739	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
13	ISBM University	29,775	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
14	AAFT University	41,748	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
15	RawatpuraSarkar University	2,68,779	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
16	Dr C.V. Raman University	60,433	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
17	Dr C.V. Raman University	23,789	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
18	Dr C.V. Raman University	3,04,181	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
19	Dr C.V. Raman University	7,50,000	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
20	Dr C.V. Raman University	7,95,361	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
21	Dr C.V. Raman University	6,56,293	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
22	Amity University	9,19,128	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
23	Dr C.V. Raman University	1,71,217	19.02.2022	06.03.2022	16.03.2022	10
24	K. K. Modi University	4,959	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
25	K. K. Modi University	3,168	18.02.2022	05.03.2022	14.03.2022	9
26	Bharti University	5,690	20.01.2022	04.02.2022	25.03.2022	49

B. The fees from universities are being received through cheque / Demand Draft. It is observed with reference to date of cheque /Demand Draft that there are instances of significant delay in getting the funds credited to the account. The suggestion to get remittance through online facility such as NEFT, RTGS etc. has not been implemented.



- C. The entity is following practice of recording the entries of receipt and payment via cheque at the time of the realization of the same instead of the date of issue/receipt of cheque. As a result of same we are unable to determine the exact date of receipt of amount from universities and payment of same to the government merely by book entries.

### Annexure - 'B'

- A. In following instances affiliated universities have not deposited the stipulated amount within 15 days of following month with AYOG:

S. No.	Particulars	Month	Date to be received by	Date of Receipt	Amount Received	Penal Interest (See note B)
1	ISBM University	Mar-21	15-04-2021	01-06-2021	1,10,459	3,314
		Apr-21	15-05-2021	01-06-2021	35,301	530
2	Rawatpura Sarkar University	Mar-21	15-04-2021	15-06-2021	35,404	1,062
		Apr-21	15-05-2021	15-06-2021	6,349	95
3	ICFAI University	Mar-21	15-04-2021	11-06-2021	23,289	699
		Apr-21	15-05-2021	15-06-2021	3,755	56
4	KK Modi University	Jul-21	15-08-2021	23-08-2021	3,910	59
		Aug-21	15-09-2021	12-11-2021	5,067	152
		Sep-21	15-10-2021	21-10-2021	3,493	52
		Feb-22	15-03-2022	24-03-2022	4,935	74
5	OP Jindal University	Mar-21	15-04-2021	02-06-2021	13,394	402
		Apr-21	15-05-2021	02-06-2021	2,71,899	4,078
		Jun-21	15-07-2021	19-07-2021	44,842	673
		Aug-21	15-09-2021	20-09-2021	67,156	1,007
		Sep-21	15-10-2021	18-10-2021	1,67,082	2,506
		Oct-21	15-11-2021	16-11-2021	1,32,370	1,986
		Nov-21	15-12-2021	23-12-2021	73,125	1,097
		Jan-22	15-02-2022	25-02-2022	1,85,545	2,783
		Feb-22	15-03-2022	17-03-2022	1,69,251	2,539
6	Kalinga University	Mar-21	15-04-2021	02-06-2021	2,02,618	6,079
		Apr-21	15-05-2021	02-06-2021	1,59,371	2,391
7	Shankaracharya University	Mar-21	15-04-2021	05-06-2021	10,343	310
		Apr-21	15-05-2021	05-06-2021	415	6
8	MATS University	Mar-21	15-04-2021	14-06-2021	70	2
		Jul-21	15-08-2021	17-08-2021	2,39,498	3,592
<b>Total</b>					<b>35,544</b>	


- B. The penal interest for late deposit of fees by the universities has not been charged by the Agog.




- C. It can be seen from the aforesaid table above that no uniform practice is being followed by the Universities which are affiliated with the AYOG. In some of the cases the University is sending the details for a particular quarter and some time it is stretching to more than a quarter, whereas the stipulation is that they are supposed to submit the amount on monthly basis within 15 days from the end of the following Month in which the fees have been received.
- D. Bharti University has not paid the stipulated amount on monthly basis to the Ayog as depicted in table below:

S.No.	Particular	Date of Receipt	Amount Received
1	FY 2021-22	20-01-2022	5,690
2	FY 2021-22	17-02-2022	13,650



<b>CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG</b>			
<b>BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2022</b>			
<b>Wing-2, Block A, Office Complex, Sector 24, Nava Raipur Atal Nagar, Chhattisgarh</b>			
PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (₹) 31.03.2022	AMOUNT (₹) 31.03.2021
<b>SOURCES OF FUNDS:</b>			
<b>CAPITAL FUND:</b>			
Reserve & Surplus	"A"	22,51,64,974	25,29,59,145
<b>T-O-T-A-L :-</b>		<b>22,51,64,974</b>	<b>25,29,59,145</b>
<b>APPLICATION OF FUNDS:</b>			
<b>Property, Plant &amp; Equipment and Intangible Assets</b>	"B"		
Opening W.D.V.		18,85,363	21,47,455
Add: Addition during the year		10,25,30,070	1,44,199
Less: Depreciation during the year		57,01,012	4,06,291
Closing W.D.V.		<b>9,87,14,421</b>	<b>18,85,363</b>
Capital-Work-In-Progress		-	8,93,58,869
		<b>9,87,14,421</b>	<b>9,12,44,232</b>
<b>CURRENT ASSETS, LOANS &amp; ADVANCES:</b>			
Cash & Bank balances	"C"	84,17,734	1,98,83,624
Investments in fixed deposit receipts	"D"	54,50,33,117	51,25,92,479
Deposits & Advances	"E"	50,04,638	52,95,701
		<b>55,84,55,489</b>	<b>53,77,71,804</b>
<b>LESS: CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS:</b>	"F"		
Net Current Assets		43,20,04,936	37,60,56,890
<b>T-O-T-A-L :-</b>		<b>12,64,50,553</b>	<b>16,17,14,913</b>
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"	<b>22,51,64,974</b>	<b>25,29,59,145</b>
<b>FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA</b> <b>VINAYAMAK AYOG Niji</b> <b>Vishwavidyalaya Viniyamak Ayog</b>  (Dr. Umesh Kumar Mishra) (Dr. (Emt.) Manisha Shukla) Secretary [CHAIRMAN] [SECRETARY]			<b>FOR, BATRA DEEPAK &amp; ASSOCIATES</b> <b>CHARTERED ACCOUNTANTS</b> FIRM REG. NO. 005408C  [SUMIT LUNIA] PARTNER M.NO 419856  CA RAIPUR (C.G.) Chartered Accountants
DATE: 29/08/2022 PLACE: RAIPUR			DATE: 29/08/2022 PLACE: RAIPUR UDIN: 22419856ASPLNG5569

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG****INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT  
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2022****Wing-2, Block A ,Office Complex, Sector 24, Nava Raipur Atal Nagar, Chhattisgarh**

<b>PARTICULARS</b>	<b>SCHEDULE</b>	<b>AMOUNT</b>	<b>AMOUNT</b>
		(₹) 31.03.2022	(₹) 31.03.2021
<b>I-N-C-O-M-E :</b>			
Interest from FDR		12,72,577	4,92,92,890
Interest from Banks		8,47,007	7,71,263
Income Incidental / Auxiliary objects		25,500	20,500
Interest on IT Refund		-	378
	<b>TOTAL (A)</b>	<b>21,45,084</b>	<b>5,00,85,031</b>
<b>E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :</b>			
Staff salary		97,35,797	85,13,425
Telephone expenses		35,880	34,135
Rent A/c		4,81,328	5,04,492
Electricity charges		51,650	48,550
Travelling and Conveyance expenses		17,795	2,904
Depreciation & Amortisation		57,01,012	4,06,291
Office expenses		1,12,180	1,50,962
Interest on Endowment Fund		1,28,06,282	1,32,75,440
Conference expense		32,465	30,380
Insurance Expense		29,316	-
Bank charges		1,168	413
Repair and Maintenance (P&M)		1,43,077	2,17,911
Postage & Telegram Exp.		2,060	15,861
Printing & Stationery expenses		57,654	74,451
Sitting fees		1,45,000	1,19,000
Legal & Professional expenses		1,43,914	3,21,960
Interest on TDS		1,176	-
Locker Rent		1,652	1,652
Medical Reimbursement		2,30,900	40,608
Diesel Expenses		2,08,950	1,62,025
	<b>TOTAL (B)</b>	<b>2,99,39,255</b>	<b>2,39,20,460</b>
Excess of Income over Expenditure (A - B)		(2,77,94,171)	2,61,64,571
Net Surplus Carried to Balance Sheet		(2,77,94,171)	2,61,64,571
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"		
<b>FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA</b> <b>VINAYAMAK AYOG Niji</b> <b>Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog</b>			
(Dr. Umesh Kumar Mishra) (Dr. (Smt.) Manisha Shukla) I/C Chairman Secretary			
[CHAIRMAN]	[SECRETARY]		
DATE : 29/08/2022			
PLACE: RAIPUR			
<b>FOR, BATRA DEEPAK &amp; ASSOCIATES</b> <b>CHARTERED ACCOUNTANTS</b> <b>FIRM REG. NO. 005408C</b>			
 [SUMIT LUNIA] PARTNER M.NO 419856			
			
DATE : 29/08/2022			
PLACE: RAIPUR			
UDIN: 22419856 ASPLNG 5569			

<b>CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2022</b>					
Receipts	Amount (₹)	Amount (₹)	Payments	Amount (₹)	Amount (₹)
<b>Opening Balance</b>		1,98,83,624	<b>Current Liabilities</b>		1,75,99,967
Bank Accounts	1,98,78,051		Amount Deposited in Treasury		
Cash-in-hand	5,573		Office, Raipur)		
			TDS	1,76,01,467	(1,500)
<b>Current Liabilities</b>		7,35,12,481	<b>Fixed Assets</b>		1,31,71,201
Endowment Fund Received	5,60,00,000		Building	1,23,00,000	
Amount collected from universities	1,75,12,481		Computer & Printer	2,95,840	
			Water Purifier	17,000	
			Office Equipment	5,58,361	
<b>FDR Matured:</b>		3,55,00,000	<b>Purchase of FDRs</b>		6,79,40,638
FDR No. 540903030014069 for 5 Years 2 Days	1,00,00,000		FDR NO. 540903030014062 FOR 5YRS 2		
FDR with UBI A/c No. 540903030013324 for 37			DYAS	1,50,00,000	
Months	1,80,00,000		FDR NO. 540903030014063 FOR 5YR 2		
FDR with UBI TDR NO. 529806 for 12 Months @			DAYS	1,50,00,000	
5.75%	75,00,000		FDR NO. 540903030014065 FOR 5 YRS 2		
			DAYS	1,50,00,000	
			FDR NO. 540903030014069 FOR 5 YRS 2		
			DAYS	1,00,00,000	
			FDR NO. 540903030014083 FOR 5 YRS 2		
			DAYS	50,00,000	
			FDR NO. 355453	79,40,638	
<b>Current Assets</b>		45,000	<b>Loans &amp; Advances</b>		5,000
Rent Deposit amount received	45,000		Advances to PWD for Mini Conference	5,000	
<b>Indirect Incomes</b>		21,42,584	<b>Indirect Expenses</b>		2,39,46,149
Income Incidental / Auxiliary objects	23,000		Staff Salary	94,47,933	
Interest From Banks	8,47,007		Telephone Expenses	35,880	
Interest on FD From UBI	12,72,577		Rent	4,81,328	
			Electricity charges	51,650	
			Travelling and Conveyance expenses	17,795	
			Office expenses	1,12,180	
			Interest on Endowment Fund	1,28,06,282	
			Conference expense	32,465	
			Insurance Expense	29,316	
			Bank charges	1,168	
			Repair and Maintenance (P&M)	1,43,077	
			Postage & Telegram Exp.	2,060	
			Printing & Stationery expenses	53,424	
			Sitting fees	1,45,000	
			Legal & Professional expenses	1,43,914	
			Interest on TDS	1,176	
			Locker Rent	1,652	
			Medical Reimbursement	2,30,900	
			Diesel Expenses	2,08,950	
			<b>Closing Balance</b>		84,17,734
			Bank Accounts	84,04,994	
			Cash-in-hand	12,740	
		13,10,83,689			13,10,80,689



**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2022**

PARTICULARS	AS AT 31.03.2022	AS AT 31.03.2021
<b><u>SCHEDULE - "A"</u></b>		
<b><u>RESERVES &amp; SURPLUS:</u></b>		
Opening Balance Add : Surplus / (Deficit)	25,29,59,145 (2,77,94,171)	22,67,94,574 2,61,64,571
T-O-T-A-L :-	<b>22,51,64,974</b>	<b>25,29,59,145</b>
<b><u>SCHEDULE - "C"</u></b>		
<b><u>CASH AND BANK BALANCE:</u></b>		
Petty Cash (As certified by Management)	12,740	5,573
<b><u>Balances with Scheduled Bank :</u></b>		
(a) Balance with Union Bank of India (under Reconciliation)	(4,70,086)	12,94,542
(b) Balance With Central Bank Of India	48,75,081	35,83,509
(c) Auto Sweep Account with Union Bank of India	40,00,000	1,50,00,000
T-O-T-A-L :-	<b>84,17,734</b>	<b>1,98,83,624</b>
<b><u>SCHEDULE - "D"</u></b>		
<b><u>INVESTMENTS IN FDR(s):</u></b>		
(a) Fixed Deposits with Union Bank of India	54,50,33,117	51,25,92,479
T-O-T-A-L :-	<b>54,50,33,117</b>	<b>51,25,92,479</b>
<b><u>SCHEDULE - "E"</u></b>		
<b><u>DEPOSITS &amp; ADVANCES</u></b>		
(a) TDS Receivable ( A.Y 2007-08)	85,617	85,617
(b) Deposit for rent	-	45,000
(c) Deposit for telephone	1,402	1,402
(d) Advance for Conference	15,000	10,000
(e) Mr Barun Ganda- Excess Salary Receivable	55,687	1,03,435
(f) Mr Ramji Dwivedi -Excess Salary Receivable	1,82,805	3,39,869
(g) Mrs Rekha Rani Kannowjiya-Excess Salary Receivable	96,900	1,79,952
(i) Fees to be received-ISBM University	35,301	-
(j) IT Paid for AY 2017-18 Assessment (Disputed)	45,30,426	45,30,426
(h) TDS Receivable	1,500	-
T-O-T-A-L :-	<b>50,04,638</b>	<b>52,95,701</b>
<b><u>SCHEDULE - "F"</u></b>		
<b><u>CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISION</u></b>		
(a) Endowment fund	43,20,00,000	37,60,00,000
(b) Fees to be deposited in Treasury	4,936	54,390
(c) Mr. Vikas Verma	-	2,500
T-O-T-A-L :-	<b>43,20,04,936</b>	<b>37,60,56,890</b>



PARTICULARS	RATE	W.D.V. AS ON 1-04-2021	ADDITIONS		DELETION	TOTAL	TOTAL DEPRECIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2022
			MORE THAN 180 DAYS	UP TO 180 DAYS				
Furniture & Fixtures	10%	4,32,962	-	3,74,46,600	-	3,78,79,562	19,15,626	3,59,63,936
Building	10%	-	-	5,89,58,869	-	5,89,58,869	29,47,943	5,60,10,926
Office Equipments	15%	78,394	-	5,58,361	-	6,36,755	53,636	5,83,119
Computers	40%	32,011	2,95,840	-	-	3,27,851	1,31,140	1,96,711
Printers	40%	1,392	-	-	-	1,392	557	835
Air Conditioner	15%	97,787	-	-	-	97,787	14,668	83,119
Car	15%	8,68,329	-	-	-	8,68,329	1,30,249	7,38,080
Cooler Machine	15%	2,890	-	-	-	2,890	434	2,456
Water Purifier	15%	-	-	17,000	-	17,000	1,275	15,725
Plant & Machinery	15%	-	-	52,53,400	-	52,53,400	3,94,005	48,59,395
Maruti D'zire Car	30%	3,71,598	-	-	-	3,71,598	1,11,479	2,60,119
<b>TOTAL</b>		<b>18,85,363</b>	<b>2,95,840</b>	<b>10,22,34,230</b>		<b>10,44,15,433</b>	<b>57,01,012</b>	<b>9,87,14,421</b>
<b>Work in Progress</b>								
Office Building at Naya Raipur Sec-24	15%	8,93,58,869	-	1,23,00,000	10,16,58,869	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>8,93,58,869</b>	<b>-</b>	<b>1,23,00,000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG****SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS****A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:****1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:**

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

**2. FIXED ASSETS:**

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

**3. DEPRECIATION:**

The entity has provided for depreciation as per rates prescribed under the Income Tax Act 1961.

**4. CONTINGENT LIABILITIES:**

Contingent liabilities have not provided for in the books of accounts and are shown separately in the "Notes to Accounts".

**B. NOTES TO ACCOUNTS:**

- (i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.
- (ii) Tax Provision: - The AYOG is a body enacted under a separate enactment. It is constituted to regulate the conduct of private sector universities in the state of Chhattisgarh. It is also designated agency for allowing set up of any private university in the state of Chhattisgarh. In view of which it fulfills the criteria stipulated under section 10(46) of the I.T Act for getting full exemption of its income/surplus. Apart From this, AYOG has already been approved for exemption under other applicable sections of the IT Act. AYOG has been recognizing the refund of Endowment funds as its application of surplus and therefore does not have taxable income accordingly it has not made any provision of income tax in its books of account.



- (iii) Ayog has received the possession of new office building on 27th November, 2021. The Lease deed and Sale deed in respect of same is yet to be executed. In total an amount of Rs.10,16,58,869 has been paid to Nava Raipur Atal Nagar Vikas Pradhikaran on account of such building. The break of which is follow:

S.No.	Particular	Amount
1.	Building	5,87,79,039
2.	Land revenue tax (Building)	1,79,829
3.	Furniture & Fixture	18,85,000
4.	Plant & machinery	52,53,400
5.	Interior Work of Building(Furniture & Fixture)	57,56,800
6.	Lump sum amount for Interior and Electrical work	2,98,04,800


(iv) **Contingent Liabilities:**

- a. The liability of Rs. 1,29,15,617 towards interest due on endowment fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.
- b. No Contingent liability is ascertained against pending Law Suits, as no financial implication has been ascertained.
- c. In respect of pending litigation:  
For the FY 2016-17 (AY 2017-18), Income Tax Department disallowed the exemption u/s 10(23c) (vi) of the Income Tax Act, 1961 and raised a Demand of Rs. 1,75,31,030/-, the matter has been taken with first appellate authority i.e. Commissioner of Income Tax (Appeals) and in order to get Stay of Demand for such disputed amount an amount of Rs. 35,06,206/- have been paid by AYOG. The tax refunds for Assessment Year(AY) 2018-19 of Rs. 9,85,830/- & AY 2019-20 Rs. 38,390/- have also been adjusted with the Disputed Demand, thus a total of Rs. 45,30,426/- have been paid against Disputed Demand.

- (v) Parties' balances are subject to confirmations.


**SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"**

**For, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA  
VINIYAMAK AYOG**

For, Chhattisgarh Niji  
Vishwavidyalaya Viniyamak Ayog  
  
 (Dr. Umesh Kumar Mishra)  
I/C Chairman  
  
 (Dr. (Emt.) Manisha Shukla)  
Secretary  
  
**[CHAIRMAN]**                   **[SECRETARY]**

DATE: 29/08/22  
PLACE: RAIPUR


**For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS**  
FIRM REG. NO. 005408C

  
**[SUMIT LUNIA]**  
PARTNER  
M.NO. 419856  
UDIN: 22419856ASPLN65569  
DATE: 29/08/22  
PLACE: RAIPUR





# विद्या निलयम्



## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

विद्या निलयम्, ब्लॉक - 7 बी, भू-तल, ऑफिस कैंपस,  
सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

✉ cgpurc18@gmail.com, 🌐 purc.cgstate.gov.in ☎ 0771-2277580, 2277250